National Programme for Organic Production

एपीडा
APEDA

Organic Farming Association of India
OFAI

mpsoca

UPSOCA
CERTIFIED ORGANIC

fssai

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें

अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, बाँदा

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा-210001 (उ0प्र0)

Tel.:- 05192- 232315; e-mail:- kvkbanda@gmail.com

website:- banda.kvk4.in

वित्त पोषित-

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स. प्राकृतिक कृषि व आर्गेनिक एवं ड्राई लैण्ड फार्मिंग

जैविक कृषि के राष्ट्रीय मानक

- डा0 श्याम सिंह
- डा0 मंजुल पाण्डेय
- डा0 प्रज्ञा ओझा
- डा0 मानवेन्द्र सिंह
- डा0 दीक्षा पटेल

विस्तार पत्रक/बीयूएटी/केवीके-बाँदा/2022/06

प्रसार निदेशालय

कृषि विज्ञान केन्द्र, बाँदा

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा-210001

जैविक कृषि के राष्ट्रीय मानक

भारत के व्यापार मंत्रालय ने जैविक कृषि के मुख्यतः 6 राष्ट्रीय मानक निर्धारित किये है–

1. बदलाव **2. फसल उत्पादन**
3. पशुपालन **4. खाद्य प्रसंस्करण एवं संचालन**
5. नामांकन या लेवल लगाना **6. भण्डारण व परिवहन**

1. बदलाव –

जैविक कृषि/पशुपालन शुरू करने से लेकर वास्तविक/पूर्ण जैविक कृषि/पशुपालन करने के बीच की अवधि को बदवाल अवधि (Canversion Period) कहते हैं। प्रमाणीकरण के अर्न्तगत यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक फार्म का कुछ भाग जैव विविधता के लिये एवं प्रकृति संरक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाये। सामान्यतः बदलाव की अवधि 3 से 5 वर्ष की होती है।

2. फसल उत्पादन –

1. फसलों एवं प्रजातियों का चयन– प्रमाणित जैविक उत्पाद ही बीज के रूप में प्रयोग करें परिवर्तित अनुवांशिक वाले बीज प्रतिबंधित है।
2. फसलोत्पादन में विविधता– पौध विविधता बनाये रखी जाये जिससे भूमि स्वस्थ रहेगी व रोग/कीट प्रबन्धन आसान होगा।
3. पादप पोषण – फार्म पर उत्पादित जैविक अवशेष खादों का ही बहुतायत में प्रयोग करें अन्य स्थानों से लाये गये अवशेष एवं मानव मल से तैयार खादों का प्रयोग जैविक पशुओं के आहार हेतु उत्पादित फसलों में कर सकते है जैव उर्वरक सभी परिस्थितियों में प्रयोग किये जा सकते है।
4. फसल सुरक्षा– फसल सुरक्षा हेतु फसल चक्र संतुलित खाद, गर्मी की जुताई पलवार आदि का एकाकी या सम्मिलित प्रयोग कर सकते है। स्थानीय रूप से वानस्पति एवं पशुओं स्रोतों से तैयार कीटनाशकों एवं जैव नाशकों का प्रयोग करें।
5. मिश्रण – उत्पादन में किसी भी स्तर पर उपादानों का मिश्रण न हो।
6. भू एवं जल संरक्षण – भू एवं जल का अपयोग सही व टिकाऊ ढंग से हो जंगल काटकर खेती करना सर्वथा वर्जित हो।

3. पशुपालन– पशु निवास हेतु पर्याप्त स्थान हो, ताजी हवा, शुद्ध पानी उपलब्ध हो धूप, सर्दी, हवा से बचाव के साधन हों, पशु पोषण हेतु प्रमुख चारा, दाना शुद्ध रूप से जैविक उत्पाद वाला होना चाहिये।

4. खाद्य प्रसंस्करण एवं संचालन–जैविक उत्पादों को कटाई/तुड़ाई से लेकर प्रसंस्करण, भण्डारण एवं लाने ले जाने में हर स्तर पर ध्यान रखें कि अन्य उत्पादों के साथ न मिले भण्डारण हेतु नियंत्रित वातावरण, ठंडा करना, बर्फ जमना सुखाना व नमी नियंत्रण करना प्रमुख तरीके अपना सकते हैं रसायनों का प्रयोग वर्जित हो प्रसंस्करण में प्रयुक्त सभी अवयव पूर्णतः जैविक होने चाहिये प्रसंस्करण के दौरान जैविक कृषि अवयवों की गुणवत्ता बनी रहे। प्रसंस्करण उत्पादन की पैंकिग हेतु पुर्नप्रयोगी अच्छी गुणवता वाले पैकिंग पदार्थ का प्रयोग करें जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हों।

5. नामांकन (लैवलिंग)– सभी वांछित प्रक्रियाएं अपनाकर तैयार उत्पाद को प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वरा प्रमाणित जैविक उत्पाद घोषित करने पर उत्पादों पर India Organic का लोगों लगाया जा सकता है।

6. भण्डारण एवं परिवहन– जैविक पदार्थों के भण्डारण व परिवहन के समय अन्य कृषि उत्पादों या प्रतिबंधित रसायनों के सम्पर्क में न आने पायें व हमेशा अपनी अलग पहचान बनायें।